तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/6/19	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट अधिवक्ता उप0। उतरदातागण अनु0। अपीलाण्ट ने इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 2 व 4 से संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 70, 74 रकबा 118.17, 55.17 बीघा मौजा–कुण्डल उर्फ गोधनली, पटवार मण्डल बन्धडा, तह0 गडरारोड़ मे आई हुई है। अपीलाधीन भूमि अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 व 4 के उनके पिता भगदान से विरासत में प्राप्त हुई है लेकिन अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 2 व 4 के पिता भगदान के फौतगी के विरासती नामान्तरकण 156 को राजस्व कर्मचारीयो ने अपीलाण्ट को बिना सुने अपीलाण्ट के वास्तविक नाम लीलदान के स्थान पर उतरदाता संख्या 2 व 4 के साथ मामद दर्ज किया जो गलत होने से उक्त नामान्तरकण 156 खारिज किया जाकर उनके स्थान पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम लीलदान दर्ज किया जावे। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर उतरदातागण को जरीये सम्मन तलब किये गये। साथ तहसीलदार गडरारोड़ से उक्त अपील से संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की तथा अपीलाण्ट की अपील के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, ग्राम पंचायत बंन्धडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा तहसीलदार गडरारोड़ की तथात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें अपीलाण्ट का वास्तविक नाम लीलदान है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कि जाकर मौजा–कुण्डल उर्फ गोधनली, पटवार मण्डल बन्धडा, तह0 गडरारोड़ के खसरा नम्बर 70, 74 रकबा 118.17, 55.17 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित नामान्तरकण 156 खारीज किया जाता है साथ ही तहसीलदार गडरारोड़ अपीलाण्ट का सही नाम लीलदान दर्ज करते हुए नये सिरे से नामान्तकारण भरे जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड़ अधिकारी शिव, जिला–बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested